डाक पंजीयन क्रमांक - म.प्र./भोपाल/4-357/2024-26

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

प्रकाशन 16 जनवरी, 2024, डिस्पेच दिनांक 16 जनवरी, 2024

| वर्ष 67 | अंक 16 | भोपाल | 16 जनवरी, 2024 | पृष्ठ 8 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/- |

5 राज्यों के PACS को प्रधानमंत्री भारतीय जन-औषधि केंद्र के संचालन के लिए स्टोर कोड वितरित करने के कार्यक्रम को संबोधित किया

- प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जेनरिक दवाओं की व्यवस्था को स्ट्रीमलाइन कर भारतीय जन-औषधि केंद्र के माध्यम से 60 करोड़ गरीबों तक दवाइयाँ उपलब्ध करवाई
- मोदी जी की गारंटी को सार्थक करने के लिए देश की 2373 PACS को जन औषधि केंद्र के रूप में स्थापित किया जा रहा है
- अब PACS के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों और किसानों के लिए भी सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध होंगी
- सहकारिता और स्वास्थ्य का यह संगम, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य का संगम है
- PACS के बिना सहकारिता का खाका नहीं बन सकता, सहकारिता मंत्रालय 2 लाख नए PACS बनाकर हर पंचायत तक PACS पहुंचाएगा
- हमें 2047 तक गरीब से गरीब व्यक्ति को सहकारिता के माध्यम से समृद्ध बनाने के मोदी जी के स्वप्न को पूरा करने के संकल्प को लेकर आगे बढ़ना है
- मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों के माध्यम से देश के गरीबों की 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की बचत हुई है
- अगले 3 वर्षों में PACS के पास होगी विश्व की सबसे बड़ी भंडारण क्षमता
- वर्तमान में 28 हजार PACS, CSC के रूप में काम कर भारत सरकार की 300 से अधिक सेवाओं को जनता तक पहुंचा रहे हैं
- मोदी जी ने आयुष, प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक उत्पादों, तीनों को जोड़ विश्व को दवाई के बिना जीवन जीने का नया भारतीय मॉडल दिया है

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में 5 राज्यों के PACS को प्रधानमंत्री भारतीय जन-औषधि केंद्र के संचालन के लिए स्टोर कोड वितरित करने के कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री मनसुख मांडविया, सहकारिता राज्य मंत्री श्री बी एल वर्मा सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

महासंगोष्ठी को संबोधित करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तय किया गया है कि प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) को अन्य कामों में जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए और आज इसी उद्देश्य का विस्तार हो रहा है। उन्होंने कहा कि देश भर की 2373 PACS को सस्ती दवा की दुकान यानी जन औषधि केंद्र के रूप में स्थापित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी को सार्थक करने के लिए यह कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्र ज्यादातर शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं, जिसकी वजह से केवल शहर के गरीबों को ही उनका फायदा मिलता था और उन्हें 10 रुपए से लेकर 30 रुपए तक सस्ती दवाएं मिलती थीं, मगर PACS के माध्यम से अब ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों और किसानों के लिए भी सस्ती दवाइयां उपलब्ध होंगी।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि सालों से फार्मेसी के क्षेत्र में भारत विश्व में अग्रणी रहा और विगत 10 साल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने फार्मेसी के क्षेत्र में ढेर सारे सुधार किए और आज पूरे विश्व में भारत फार्मा क्षेत्र का एक विश्वस्त उत्पादक देश बन गया है। लेकिन एक विडंबना थी कि दुनिया भर को दवाएं भेजने वाले भारत में 60 करोड़ की आबादी ऐसी थी जिनके भाग्य में दवाएं नहीं थीं, क्योंकि दवाएं महंगी होने के कारण वे दवाएं खरीद ही नहीं पाते थे। लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जेनरिक दवाओं की व्यवस्था को स्ट्रीमलाइन कर भारतीय जन-औषधि केंद्र के माध्यम से 60 करोड़ गरीबों तक दवाइयाँ उपलब्ध करवाई। इससे ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सुधार हुआ।

श्री अमित शाह ने कहा कि बीते नौ साल में जन औषधि केंद्रों के माध्यम से इस देश के गरीबों के लगभग 25,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। उन्होंने कहा कि सहकारिता क्षेत्र के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में अब जन औषधि केंद्रों की पहुंच बढ़ने जा रही है और आने वाले दिनों में ग्रामीण गरीबों को भी किफायती दरों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। उन्होंने खुशी जताई कि सहकारिता क्षेत्र इस पहल में माध्यम बनने जा रहा है।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि सहकारिता एवं स्वास्थ्य का यह संगम समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य का संगम है। उन्होंने कहा कि आज कई राज्यों में सहकारिता क्षेत्र के माध्यम से PACS की शुरुआत हुई है और लगभग 2300 प्राथमिक सहकारी समितियां गुजरात, जम्मू—कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में ग्रामीण क्षेत्र में सस्ती दवाइयां पहुंचाने का काम कर रही हैं।

श्री अमित शाह ने कहा कि आज देश के विभिन्न हिस्सों से पांच PACS को सिंबॉलिक सर्टिफिकेट भी दिए गए जिसमें महाराष्ट्र, बिहार, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सहकारिता के विस्तार के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय ने ढेर सारे काम किए हैं। इसके तहत 56 से ज्यादा पहलों के माध्यम से सहकारिता की पहुंच बढ़ाना और सहकारिता के माध्यम से गरीबों तक समृद्धि पहुंचाने का काम सहकारिता मंत्रालय ने किया है। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय 2 लाख नए PACS बनाकर हर पंचायत तक PACS पहुंचाएगा। श्री शाह ने कहा कि हमें वर्ष 2047 तक गरीब से गरीब व्यक्ति को सहकारिता के माध्यम से समृद्ध बनाने के मोदी जी के स्वप्न को पूरा करने के संकल्प को लेकर आगे बढ़ना है।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि PACS के आधार के बगैर सहकारिता का खाका तैयार नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि जब मंत्रालय ने 2 लाख नए PACS बनाने का निर्णय किया तब इस बात पर विचार—विमर्श हुआ कि आंदोलन क्यों पिछड़ गया और PACS क्यों बंद हो गए। इससे मीमांसा से यह बात निकल कर सामने आई कि PACS के बायलॉज में एग्रीकल्चर क्रेडिट के अलावा किसी अन्य काम को समाहित करने का प्रावधान ही नहीं था। इसलिए हमने सबसे पहले मॉडल बायलॉज बनाया और उसे सभी राज्यों को भेज कर व्यापक स्तर पर चर्चा की। आज देश के सभी PACS मॉडल बायलॉज को अपना चुके हैं। नए PACS भी मॉडल बायलॉज के तहत ही रजिस्टर हो रहे हैं।

श्री शाह ने कहा कि पहले बड़ी PACS मोटे तौर पर क्रेडिट एजेंसी का काम करते थे, लेकिन अब पैक्सों को माइक्रो एटीएम और किसान क्रेडिट कार्ड के काम से भी जोड़ दिया गया है। अब पैक्सों में पशुपालन संवर्धन केंद्र और सीएससी भी खुल सकता है तथा रेलवे टिकट की बुकिंग भी हो सकती है।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि एलपीजी की डीलरशिप के लिए भी PACS को प्राथमिकता देने का निर्णय किया गया है। पेट्रोल पंप का काम करने में जो भी बाधाएं थीं, वह पेट्रोलियम मंत्रालय ने दूर कर दिया है। अब PACS भी पेट्रोल पंप का काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हर घर नल से जल अभियान के व्यवस्थापन के लिए भी लगभग 27 राज्यों ने PACS को ऑथराइज कर दिया है। इसके साथ—साथ PACS सस्ती दवाओं की दुकानें और राशन की दुकानें भी चला पाएंगे। आज 35000 पैक्स देश में फर्टिलाइजर की डिस्ट्रीब्यूशनशिप से जुड़े हैं। हमने 22 अलग-अलग प्रकार के कामों को नए बायलॉज के अंतर्गत जोड़ने का काम किया है, जिसके कारण अब पैक्से बंद हो ही नहीं सकते और उन्हें ढेर सारा मुनाफा मिलेगा।

श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो प्रधानमंत्री स्टोरेज की व्यवस्था की है उससे बहुत कम पूंजी में पैक्से अब एक मॉडर्न गोदाम बना सकता है। इसके जरिए वे अपनी तहसील और राज्य का धान और गेहूं स्टोर करने का तो केंद्र बनेगा ही, साथ ही इससे किसानों को भी कुछ समय के लिए वहां अपनी उपज रखने की सहूलियत होगी। उन्होंने कहा कि आगामी 3 सालों में देश की पैक्सों के पास विश्व की सबसे बड़ी भंडारण क्षमता होगी।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि 6 महीनों के अंतराल में 34 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से 4470 पैक्सम के आवेदन मिले हैं, जिनमें 2373 को पूरी मान्यता मिल गई है। इनमें से 248 पैक्स ने अपना काम चालू कर दिया है। उन्होंने कहा कि ढेर सारी चुनौतियों के बावजूद पैक्सों ने सिद्ध कर दिया है कि वह भी व्यापार कर सकते हैं।

श्री शाह ने कहा कि जन औषधि केंद्रों को लेकर सहकारिता मंत्रालय के सचिव के नेतृत्व में फार्मेसी काउंसिल आफ इंडिया, सभी राज्यों की फार्मेसी काउंसिल और सभी राज्य सरकारों के साथ कई दौर की बैठक हो चुकी है। 40 फील्ड ऑफिसर भी नामित किए जा चुके हैं जो इसे सुचारू रूप से संचालित करने में पैक्सों की सहायता करेंगे। उन्होंने कहा कि पैक्सा के लिए ढेर सारे रिफॉर्म्स किए गए हैं। 84000 पैक्स मॉडल बायलॉज अपनाए गए हैं।

तूर दाल उत्पादक किसानों के पंजीकरण, खरीद एवं भुगतान के लिए NAFED और NCCF द्वारा विकसित पोर्टल का लोकार्पण किया

- आज की शुरुआत आने वाले दिनों में कृषि क्षेत्र में प्रचंड परिवर्तन लाने वाली शुरुआत है
- उत्पादन से पहले ही इस पोर्टल पर रजिस्टर करने वाले सभी किसानों की दलहन हम खरीदेंगे...ये पीएम मोदी की गारंटी है
- किसी भ्रष्टाचार के बगैर किसानों की उपज का मूल्य सीधा उनके खाते में आएगा
- MSP में 10 साल में जितनी बढ़ोतरी पीएम मोदी जी ने की है उतनी किसी सरकार ने नहीं की
- "सहकार से समृद्धि" का अर्थ "सहकार से किसानों की समृधि" है
- इस पोर्टल पर रजिस्टर करने के बाद किसानों के दोनों हाथों में लड्डू होंगे
- मूंग और चने में आत्मनिर्भर बनने के बाद अब भारत को दलहन में भी आत्मनिर्भर बनना है
- प्रधानमंत्री मोदी जी ने पेट्रोल के साथ 20 प्रतिशत इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा है, इसके लिए लाखों टन इथेनॉल का उत्पादन करना होगा
- मक्के की खेती करने वाले किसान के खेत पेट्रोल के कुएँ के समान हो जायेंगे
- भारत ब्रांड दाल सिर्फ 7 महीने में सबसे ज्यादा बिकने वाली ब्रांड बन चुकी है

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में तूर दाल उत्पादक किसानों के पंजीकरण, खरीद एवं भुगतान के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (NAFED) और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (NCCF)द्वारा विकसित पोर्टल का लोकार्पण किया। श्री अमित शाह ने दलहन की आत्मनिर्भरता पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित किया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री अर्जुन मुंडा, उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री श्री अश्विनी चौबे, सहकारिता राज्य मंत्री श्री बी. एल. वर्मा सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

अपने सम्बोधन में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि आज हमने पोर्टल के जरिए ऐसी शुरुआत की है जिससे NAFED और NCCF के माध्यम से किसानों को एडवांस में रजिस्ट्रेशन कर तूर दाल की बिक्री में सुविधा होगी और उन्हें MSP या फिर इससे अधिक के बाजार मूल्य का डीबीटी के जरिए भुगतान हो सकेगा। उन्होंने कहा कि इस शुरुआत से आने वाले दिनों में किसानों की समृद्धि, दलहन के उत्पादन में देश की आत्मनिर्भरता और साथ ही पोषण अभियान को भी मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही क्रॉप पैटर्न चेंजिंग के हमारे अभियान में गति आएगी और भूमि सुधार एवं जल संरक्षण के क्षेत्रों में भी बदलाव आएगा। उन्होंने कहा कि आज की शुरुआत आने वाले दिनों में कृषि क्षेत्र में प्रचंड परिवर्तन लाने वाली शुरुआत है।

श्री अमित शाह ने कहा कि दलहन के क्षेत्र में देश आज आत्मनिर्भर नहीं है, लेकिन हमने मूंग और चने में आत्मनिर्भरता प्राप्त की है। उन्होंने कहा कि भारत जैसे कृषि प्रधान देश में पानी की उपलब्धता बढ़ रही है और देश के अलग-अलग हिस्सों का अलग-अलग मौसम कृषि के लिए बहुत उपयोगी है।प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने दलहन के उत्पादक किसानों पर बड़ी जिम्मेदारी डाली है कि वर्ष 2027 तक दलहन के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर हो। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि किसानों के सहयोग से दिसंबर 2027 से पहले दलहन उत्पादन के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बन जाएगा और देश को एक किलो दाल भी आयात नहीं करनी पड़ेगी।

गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि दलहन के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सहकारिता मंत्रालय और कृषि मंत्रालय सहित अन्य पक्षों की कई बैठकें हुई हैं जिनमें इस लक्ष्य को प्राप्त करने की राह में आने वाली बाधाओं पर चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि कई बार दलहन उत्पादक किसानों को सटोरियों या किसी अन्य स्थिति के कारण उचित दाम नहीं मिलते थे, जिससे उन्हें बड़ा नुकसान होता था। इसके कारण किसान दलहन की खेती करना पसंद नहीं करते थे। श्री शाह ने कहा कि हमने निश्चित कर लिया है कि जो किसान उत्पादन करने से पहले ही NAFED और NCCF से अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा, उसकी दलहन को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर शत-प्रतिशत खरीद कर लिया जाएगा। श्री शाह ने कहा कि इस पोर्टल पर रजिस्टर करने के बाद किसानों के दोनों हाथों में लड्डू होंगे। दलहन फसल आने पर अगर दलहन का दाम एमएसपी से ज्यादा होगा तो उसकी एवरेज निकाल कर भी किसान से ज्यादा मूल्य पर दलहन खरीदने का एक वैज्ञानिक फार्मूला बनाया गया है और इससे किसानों के साथ कभी अन्याय नहीं होगा।

श्री अमित शाह ने किसानों से अपील की कि वे NAFED और NCCF के साथ रजिस्टर करें और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की गारंटी है कि सरकार किसानों की दलहन खरीदेगी और उन्हें इसे बेचने के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि देश को आत्मनिर्भर बनाने में देश का किसान कोई कसर नहीं छोड़ेगा। सहकारिता मंत्री ने कहा कि देश का बहुत बड़ा हिस्सा आज भी शाकाहारी है और उनके लिए प्रोटीन का बहुत महत्व होता है, जिसका एकमात्र स्रोत दलहन है। उन्होंने कहा कि कुपोषण के खिलाफ देश की लड़ाई में भी दलहन के उत्पादन का बहुत महत्व है। भूमि सुधार के लिए भी दलहन महत्वपूर्ण फसल है क्योंकि दलहन की खेती करने से भूमि की गुणवत्ता बढ़ती है। उन्होंने यह भी कहा कि दलहन के उत्पादन में पानी की जरूरत कम होती है और देश के अनके हिस्सों में गिरता भूजल स्तर हमारे भविष्य के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। अगर भूजल स्तर को बनाए रखना और बढ़ाना है तो ऐसी फसलों का चयन करना होगा जिनके उत्पादन में पानी का कम इस्तेमाल हो।

सहकारिता मंत्री ने कहा कि पहले किसानों के सामने दुविधा थी कि अगर वे दलहन का उत्पादन करते थे तो उन्हें उचित दाम नहीं मिलता था, लेकिन अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों की दुविधा समाप्त कर दी है। अगर किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है तो MSP पर पूरी दलहन खरीदने की जिम्मेदारी NAFED और NCCF की है।उन्होंने कहा कि दलहन एक प्रकार से फर्टिलाइजर का एक लघु कारखाना आपके खेत में ही लगा देती है। एक हेक्टेयर क्षेत्र में 30 से 40 किलो नाइट्रोजन उपलब्ध कराना बहुत बड़ी बात है और ढेर सारे प्रयोगों से ये सिद्ध हुआ है। श्री शाह ने कहा कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, छत्तीसगढ़ और बिहार जैसे राज्यों के किसानों के लिए यह शुभ समाचार है कि वे दलहन के लिए अपनी भूमि के आकार का रजिस्ट्रेशन करा के इस बात के लिए निश्चिंत हो सकते हैं कि उनकी दलहन एमएसपी पर खरीदी जाएगी।

गृह एवं सहकारिता मंत्री ने बहुत कम समय में पोर्टल की शुरुआत के लिए NAFED और NCCF की तारीफ की। उन्होंने देश के सभी एफपीओ और प्रगतिशील किसानों से अपील की कि वे पोर्टल पर रजिस्टर करने के बारे में उन सभी क्षेत्रों में जागरूकता पैदा करें जहां दलहन का उत्पादन हो सकता है। उन्होंने कहा कि किसानों को इस बात से अवगत कराया जाना चाहिए कि रजिस्ट्रेशन एक बहुत सरल प्रकार की ऐप से सभी भाषाओं में हो सकता है। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन का एक्नॉलेजमेंट आने के बाद NAFED और NCCF कम से कम MSP पर किसानों की दलहन खरीदने को बाध्य हैं और साथ ही किसानों के सामने बाजार में अपनी दलहन बेचने का विकल्प भी खुला है।

श्री अमित शाह ने कहा कि पोर्टल को काफी वैज्ञानिक तरीके से बनाया गया है, जिसमें आधार संख्या को सत्यापित किया जाता है, किसान की यूनिक आईडी बनाई जाती है, भूमि रिकॉर्ड के साथ यह एकीकृत किया जा चुका है और आधार बेस्ड पेमेंट के साथ इंटीग्रेटेड करके किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार के बगैर किसानों की उपज का मूल्य सीधा किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाने की व्यवस्था है।

उन्होंने कहा कि वेयरहाउसिंग एजेंसियों के साथ भी इस ऐप का रियल टाइम बेसिस पर एकीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। आने वाले दिनों में वेयरहाउसिंग का बहुत बड़ा हिस्सा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार के कारण कोऑपरेटिव सेक्टर में आने वाला है। हर पैक्स एक बड़ा वेयरहाउस बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, इससे फसलों को दूर भेजने की समस्या का समाधान हो जाएगा। सहकारिता मंत्री ने कहा कि सरकार तो कम से कम एमएसपी की दर देगी ही और यदि किसानों को बाजार में ज्यादा दाम मिलता है तो वह अपनी फसल बाजार में बेचने के लिए भी स्वतंत्र हैं। उन्होंने किसानों से दलहन अपनाने और देश को एक जनवरी 2028 से पहले दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की अपील की ताकि भारत को एक किलो दलहन भी इंपोर्ट नहीं करना पड़े।

गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि बहुत कम समय के भीतर 537प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समिति (PACS) और ढेर सारे किसान उत्पादक संगठन (FPO)इस पोर्टल के साथ जुड़ चुके हैं। गुजरात के 480, महाराष्ट्र के 227, कर्नाटक के 209, मध्य प्रदेश के 45 और अन्य राज्यों के पैक्स और एफपीओ ने भी पोर्टल से जुड़ने की इच्छा जाहिर की है। उन्होंने कहा कि बीते 9 साल में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के कार्यकाल में खाद्यान्न उत्पादन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2013-14 में खाद्यान्न उत्पादन कुल मिलाकर 265 मिलियन टन था और 2022-23 में यह बढ़कर 330 मिलियन टन तक पहुंच चुका है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी और केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री शाह के विज़न पर काम करें

सहकारिता मंत्री श्री सारंग ने की विभागीय समीक्षा

नहीं चलेगा भ्रष्टाचार, अधिकारियों को निर्देश

भोपाल। सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा है कि प्रदेश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के विज़न अनुसार काम कर आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार प्रदेश में बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। अधिकारी सजग रहें जीरो टॉलरेंस पर काम करें। मंत्री श्री सारंग ने शनिवार को समन्वय भवन में सहकारिता विभाग की गतिविधियों की समीक्षा की।

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी सहकारिता शामिल है। नागरिकों के जीवन की बेहतर बनाने के उद्देश्य से विभाग कार्य करें। अधिकारी सहकारिता की नींव को और अधिक मजबूत कर उसकी साख बढ़ाने में अपना उत्कृष्ट योगदान दें।

प्रधानमंत्री और केंद्रीय सहकारिता मंत्री के विज़न पर करें काम

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने किसान की समृद्धि के लिए सहकारिता आंदोलन को मज़बूत करने का काम किया है। यह संदेश हमें किसानों तक पहुँचाना है। उन्होंने कहा कि 'सहकार से समृद्धि' के विजन को साकार करने के लिए केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री शाह कार्य कर रहे हैं। प्रदेश में उन्हीं के विजन को आगे बढ़ाकर साकार करना है।

केंद्र सरकार के 54 बिंदुओं पर काम करना सुनिश्चित करें

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी एवं केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री शाह का उद्देश्य है कि सहकारिता से गांवों की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित 54 बिंदुओं पर काम करना सुनिश्चित किया जाएं। इसकी समयसीमा निर्धारित कर मॉनिटरिंग करें।

सहकारिता मंथन कार्यक्रम और नवाचार विंग की करें शुरूआत

मंत्री श्री सारंग ने निर्देश दिये कि एक माह में 'सहकारिता मंथन' कार्यक्रम करें। जिससे पूरे प्रदेश के अधिकारियों को जोड़कर रोडमैप तैयार करना सुनिश्चित किया जा सके । उन्होंने सहकारिता विभाग में जल्द ही नवाचार विंग बनाये जाने के भी निर्देश दिये। यह नवाचार विंग सहकारिता विभाग को नई ऊंचाई पर ले जाने में सहायक होगी।

आवास संघ का सिविल विंग मजबूत हो

मंत्री श्री सारंग ने समीक्षा बैठक के दौरान आवास संघ की सिविल विंग को मजबूत करने के निर्देश दिये हैं। इसके लिये उन्होंने कहा कि अनुबंध आधार पर अनुभवी सेवानिवृत्त इंजीनियर्स को जोड़ने का कार्य करें, जिससे विभागीय निर्माण कार्यों की प्रगति व गुणवत्ता में और अधिक सुधार होगा।

सुशासन की दिशा में कार्य करने के लिये ट्रेनिंग की आवश्यकता

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि सुशासन की दिशा में कार्य करने के लिये अधिकारियों-कर्मचारियों सहित हर स्तर पर ट्रेनिंग का मॉड्यूल तैयार कर प्रशिक्षण दिया जाये, जिससे कि उनमें कार्य संस्कृति विकसित हो। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण अनुशासन भी लाता है, इससे कार्यप्रणाली भी मजबूत होगी।

बैठक में प्रमुख सचिव श्रीमती दीपाली रस्तोगी, आयुक्त एवं रजिस्ट्रार श्री आलोक कुमार सिंह एवं अपेक्स बैंक प्रबंध संचालक श्री मनोज गुप्ता सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। बैठक में सहकारिता विभाग की गतिविधियों की जानकारी दी गई, सभी विंग के प्रमुखों ने अपनी-अपनी विंग का प्रस्तुतीकरण दिया।

नई शिक्षा नीति विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास और मानवीय मूल्यों की स्थापना पर केंद्रित है

- **मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव हमारी सनातन संस्कृति गुरू और गुरूकुल दोनों की महिमा बताती है**
- **मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्वामी रामदेव को मध्यप्रदेश में गुरूकुल व आश्रम स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया**
- **मुख्यमंत्री डॉ. यादव हरिद्वार में पतंजति गुरूकुलम् एवं आचार्यकुलम शिलान्यास समारोह में हुए शामिल**

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सभी युगों में हमारे देश में शिक्षा-दीक्षा को बहुत महत्व प्रदान किया गया है। आज से 5 हजार साल पहले भगवान श्रीकृष्ण द्वारा बाल रूप में कंस जैसी महाशक्ति का पराभव करने के बाद भी तत्कालीन समाज ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण की शिक्षा-दीक्षा होना चाहिए। परिणामस्वरूप श्रीकृष्ण उज्जैन स्थित आचार्य सांदीपिनी आश्रम पधारें | तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था 14 विद्या, 64 कला से परिपूर्ण थी। प्रत्येक शिष्यों का सर्वांगीण विकास और उनमें मानवीयता के उत्कृष्ट मापदंडों की पुनर्स्थापना करना इस व्यवस्था का उद्देश्य था। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में क्रियान्वित हो रही नई शिक्षा नीति भी विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास और मानवीय मूल्यों की स्थापना पर केन्द्रित है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव हरिद्वार में पतंजलि गुरूकुलम् एवं आचार्यकुलम् के शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे।

मध्यप्रदेश भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली के रूप में भी जाना जाता है

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि हमारी सनातन संस्कृति गुरू और गुरूकुल दोनों की महिमा बताती है। त्रेता युग में भगवान श्रीराम और द्वापर युग में भगवान श्रीकृष्ण ने गुरूकुल में अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। हमारा यह सौभाग्य है कि मध्यप्रदेश भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली के रूप में भी जाना जाता है। योगगुरू स्वामी रामदेव ने हरिद्वार में पतंजलि गुरूकुलम् एवं आचार्यकुलम् की स्थापना से इस पुण्य धरा को शिक्षा से जोड़ने का पुनीत कार्य किया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने योगगुरु स्वामी रामदेव को इस प्रकल्प के लिए बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उज्जैन या मध्यप्रदेश में भी गुरूकुल व आश्रम स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया।

21वीं शताब्दी भारत के उत्कर्ष की शताब्दी है

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का मानना था कि 21वीं शताब्दी भारत के उत्कर्ष की शताब्दी होगी और उत्कर्ष के यह लक्षण दिखाई देने लगे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश का यश सम्पूर्ण विश्व में स्थापित हुआ है। योग गुरू स्वामी रामदेव जी महाराज ने भारतीय संस्कृति की महत्ता को विश्व में स्थापित करते हुए भारतीय दर्शन व चिंतन में विश्वास की पुनर्स्थापना की है। स्वामी दयानंद जी ने 200 साल पहले जो अलख जगाया और स्वामी दर्शनानंद जी

महाराज ने गुरूकुलों के माध्यम से जिन मूल्यों और विचारों का प्रसार किया, उन सबको नई शिक्षा नीति में सम्मिलित किया गया है। भगवान श्रीराम व भगवान श्रीकृष्ण के अलग-अलग दृष्टांतों को जोड़कर नई पीढ़ी को उनसे परिचित कराने, देश की संस्कृति को जोड़ने तथा आने वाली पीढ़ियों को मानवता की स्थापना में हरसंभव योगदान देने के लिए प्रेरित करने का नई शिक्षा नीति के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है।

हरिद्वार में पतंजलि गुरूकुलम् एवं आचार्यकुलम् शिलान्यास समारोह में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी, केन्द्रीय मंत्री श्री अर्जुन मेघवाल, राज्यसभा सांसद श्री सुधांशु त्रिवेदी आदि उपस्थित थे।

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, झाबुआ (म.प्र.)

तीसरी तामिली बैकिंग रेग्यूलेशन एक्ट 1949 की धारा 29 के अंतर्गत प्रारूप 'ब' स्थिति विवरण पत्रक 31/03/2023

31.03.2022	क्र.	सम्पत्ति एवं लेनदारिया	राशि	राशि 31.03.2023
0	1	सिल्लक		82902299.83
106971341.60		तिजोरी, रिजर्व बैंक आफ इंडिया, स्टेट बैंक आफ इण्डिया	82902299.83	
		इंदौर, राज्य सहकारी बैंक एव केंद्रीय सह. बैंक मे		
	2	अन्य बैंको मे अमानत		1202875716.56
550690761.76		अ. चालू अमानत	594593594.31	
1150.00		ब. बचत अमानत पोस्ट आफीस	1150.00	
65248866.12		स. मुददति अमानत अपेक्स बैंक	54819800.25	
75000000.00		द. स्टेट बैंक आफ इंडिया एवं अदर्स	153466858.00	
219304926.00		इ अपेक्स का ओडी शेष	399994314.00	
	3	अल्पकालीन एवं मांग अमानत		0.00
	4	विनियोग		1336509638.00
987742500.00		अ. केंद्रीय एवं राज्य शासन की प्रतिभूतियां	987742500.00	
		ब. अन्य अमानत प्रतिभूतिया		
206616000.00		स. सहकारी संस्थाओ के अंश	206616000.00	
132541854.00		द. रिजर्व फण्ड डिपाजिट	142151138.00	
		इ. इंदिरा विकास पत्र		
	5	राज्य भागीदारी की मूल / सहायक पूंजी का विनियोग		
		अ. केंद्रीय सहकारी अधिकोष		
		ब. प्राथमिक साख समितिया		
		स. अन्य समितियां		
	6	ऋण		6701686216.81
5900949752.67		1. अल्पकालीन, केश क्रेडिट, अधिविकर्ष एवं बिलो मे	6566324671.90	
		इसमे से प्रतिभूत है		
		अ. शासकीय एवं अन्य प्रतिभूतिया		
		ब. अन्य दर्शनीय प्रतिभूतिया		
		उक्त मे से व्यक्तिगत ऋण रूपये		
		डुबंत ऋण रूपये		
		संदिग्ध ऋण रूपये		
136155683.20		2. मध्यावधि ऋण	126607063.41	
		इसमे से प्रतिभूत है		
		अ. शासकीय एवं अन्य प्रतिभूतिया		

तीसरी तालिका बैंकिंग रेग्युलेशन एक्ट 1949 की धारा 29 के अंतर्गत प्रारूप 'अ' स्थिति विवरण पत्रक 31/03/2023

31 मार्च 2022	क्र0	पूंजी एवं देनदारिया	रकम	रकम 31.03.2023
100000000.00	1	अंशपूंजी		1000000000.00
		1. अधिकृत अंश पूंजी		
		अ. वर्ग अंश रूपये 1000 का प्रत्येक		
		ब. वर्ग अंश रूपये 100 का प्रत्येक		
		स. वर्ग अंश रूपये 10 का प्रत्येक		
		2. अभिदत्त अंशपूंजी		
		अ. वर्ग अंश रूपये 100 का प्रत्येक		
		ब. वर्ग अंश रूप्ये 1000 का प्रत्येक		
		स. वर्ग अंश रूपये 10 का प्रत्येक		
		3. प्रदत्त अंशपूंजी		
99675180.00		99675 अंशों में प्रति अंश 1000 राज्य शासन	99675180.00	
321138473.82		3211384 अंशों में प्रति अंश 100 सह. समिति एवं 29 अंशों में प्रति अंश 50 के मान से	329914676.82	
194078.00		16618 अंशों में प्रति अंश 10 नाम मात्र एवं 5550 अंशो प्रति अंश 5 के मान से	194937.00	
712500.00		शेयर केपीटल टु आईसीडीपी	712500.00	
		उपरोक्त मे से धारित		430497293.82
99675180.00		अ. राज्य शासन	99675180.00	
321138473.82		ब. सहकारी संस्थाएं	329914676.82	
194078.00		स. नाम मात्र	194937.00	
712500.00		द शेयर केपीटल टु आईसीडीपी	712500.00	
	2	रक्षित कोष एवं अन्य निधिया		790518793.58
202034375.41		अ. रक्षित कोष	212336852.41	
170848015.53		ब. कृषि साख स्थिरीकरण कोष	177029501.53	
41811011.95		स. भवन कोष	41811011.95	
17485891.50		द सहकारी विकास निधि	18722188.50	
9202516.50		इ. सहकारी अनुसंधान एव विकास निधि	10026714.50	
213938152.76		ई. मानक अस्तियों पर प्रावधान	246954152.76	
6923594.00		उ. रिकंसीलेशन प्रावधान	6923594.00	
0.00		उ. कोर बैंकिग प्रावधान	0.00	
	3	अन्य कोष एवं निधियां		
5979517.00		अ. जीप निधि	5979517.00	
229992.54		ब. कर्म. परिवार कल्याण कोष	534792.54	
1147958.87		द. स्टाक एवं फर्नीचर फंड	2642182.87	
41298.00		इ. रिस्क फंड	41298.00	
63936987.52		ई. जनरल रिजर्व फंड	63936987.52	

31.03.2022	क्र.	सम्पत्ति एवं लेनदारिया	राशि	राशि 31.03.2023
		ब. अन्य दर्शनीय प्रतिभूतिया		
		उक्त मे से व्यक्तिगत ऋण रूपये		
		कालातीत ऋण रूपये		
		डुबंत ऋण रूपये		
		संदिग्ध ऋण रूपये		
3508932.50		3. दीर्घावधि ऋण	2254481.50	
		इसमे से प्रतिभूत है		
		अ. शासकीय एवं अन्य प्रतिभूतिया		
		ब. अन्य दर्शनीय प्रतिभूतिया		
6500000.00		स. फूड क्रेडिट कंस्ट्रीयम	6500000.00	
		उक्त मे से व्यक्तिगत ऋण रूपये		
		डुबंत ऋण रूपये		
		संदिग्ध ऋण रूपये		
38513249.81	7	ब्याज प्राप्ति योग	41095883.53	41095883.53
		इस मे से कालातीत ऋण रूपये		
		डुबत एवं संदिग्ध ब्याज रूपये		
	8	चेक प्राप्ति योग्य		0.00
0.00	9	शाखाओ का समायोजन	0.00	0.00
5666280.00	10	ऋण राहत योजना शासन से लेना	2531629.00	2531629.00
955782.67	11	भवन	860204.67	860204.67
20474570.99	12	फर्नीचर एवं फिक्चर्स	22196633.55	22196633.55
4360410.00		जीप	3701218.00	3701218.00
	13	अन्य सम्पत्तियां		41878250.69
102982.23		2. कर्मचारी अग्रिम	38261.25	
0.00		3. केडर ऑफिसर्स सेलेरी	0.00	
6317916.00		4. आयकर लेना	3059580.00	
0.00		5. शासन से लेना	0.00	
12956932.63		6. विविध लेनदारिया	17456692.09	
10655762.00		7. अग्रिम आयकर	10000000.00	
2021321.10		8. फार्म स्टेशनरी स्टाक	1839312.24	
0.00		9. ऋण राहत की राशि	0.00	
6012525.11		10. जी टीएस	9484405.11	
0.00		11. एनी एफ इनवर्ड एवं आवुटवर्ड	0.00	
0.00		12. हानि	0.00	
8499269500.39		योग	9436237690.64	9436237690.64

बैकिंग सहायक **प्रभारी लेखा** **महाप्रबंधक**

अध्यक्ष/प्रशासक **बैंक अंकेक्षक**

31 मार्च 2022	क्र0	पूंजी एवं देनदारिया	रकम	रकम 31.03.2023
3580000.00		उ. शासकीय अंशपूंजी मोचन निधि	3580000.00	
	4	अमानते एवं अन्य खाते		4669963823.95
		1. मियादी अमानत		
2208738853.08		अ. व्यक्तिगत	2337221409.94	
0.00		ब. केंरद्रीय सह.अधिकोष	0.00	
126212532.22		स. अन्य समितियां	139561886.22	
		2. बचत अमानत		
1840937248.37		अ. व्यक्तिगत	1877273932.09	
0.00		ब. केंरद्रीय सह.अधिकोष	0.00	
168047249.30		स. अन्य समितियां	212501772.79	
		3. चालू अमानते		
66427153.27		अ. व्यक्तिगत	54010139.18	
0.00		ब. एक्सीस बैंक		
50254826.69		स. अन्य समितियां	49394683.73	
0.00	5	आहूत अन्य कालीन अमानते	0.00	
	6	ऋण		3165502800.00
0.00		1. रिजर्व बैंक आफ इंडिया/राज्य सह.अधि.से	0.00	
2416000000.00		2. अल्पावधि ऋण, केश केरडिट एवं अधिविकर्ष	3140000000.00	
		अ. इसमे से प्रतिभूति है		
		ब. शासकीय एवं अन्य अनुमोदित प्रतिभूति पर		
0.00		स. ओव्हरड्राफ्ट करंट खाता	0.00	
0.00		द. ओव्हरड्राफ्ट एसबीआई	0.00	
39485600.00		3. मध्यावधि ऋण	25502800.00	
0.00		अ. इसमे से प्रतिभूति है	0.00	
0.00		ब. शासकीय एवं अन्य अनुमोदित प्रतिभूति पर	0.00	
0.00		स. अन्य दर्शनीय प्रतिभूतियो पर	0.00	
0.00		4. दीर्घकालीन ऋण	0.00	
0.00		अ. इसमे से प्रतिभूति है	0.00	
0.00		ब. शासकीय एवं अन्य अनुमोदित प्रतिभूति पर	0.00	
0.00		स. अन्य दर्शनीय प्रतिभूतियो पर	0.00	
0.00		5. स्टेट बैंक आफ इंडिया से	0.00	
0.00		अ. अल्पावधि ऋण, केश क्रेडिट एवं अधिविकर्ष	0.00	
0.00		इसमे से प्रतिभूत है	0.00	
0.00		क. शास. एवं अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियो पर	0.00	
0.00		ख. अन्य दर्शानीय प्रतिभूतियो पर	0.00	
0.00		ग. मध्यावधि ऋण	0.00	
0.00		इसमे से प्रतिभूत है	0.00	
0.00		क. शासकीय अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियो पर	0.00	
0.00		ख. अन्य दर्शानीय प्रतिभूतियो पर	0.00	
0.00		ग. दीर्घाकालीन ऋण	0.00	
0.00		इसमे से प्रतिभूत है	0.00	
0.00		क. शासकीय अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियो पर	0.00	

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, झाबुआ (म.प्र.)
लाभ हानि पत्रक 31/03/2023

क्र.		व्यय मद	राशि	राशि
1		ब्याज दिया		658434331.84
	1	ब्याज दिया ऋणों पर (उधार ग्रहण पर)	206801448.00	
	2	ब्याज दिया अमानतों पर	244631826.09	
	3	ब्याज दिया मुख्यालय खातों पर	207001057.75	
2		स्थापना व्यय		101912562.61
	1	वेतन	53199877.36	
	2	मंहगाई	16814313.00	
	3	संस्था प्रंबधक का वेतन	7225153.25	
	4	मेडीकल अलाउंस	315855.00	
	5	हाउस अलाउन्स	489550.00	
	6	वर्दी धुलाई	15166.00	
	7	की अलाउन्स	8992.00	
	8	कार्यवाहक भत्ता	0.00	
	9	मो0 सायकल अलाउन्स	9394.00	
	10	यात्रा भत्ता	485730.00	
	11	शिफ्टिंग अलाउन्स	0.00	
	12	प्रा0 फण्ड कान्ट्रीब्युशन	9163420.00	
	13	मो0 सायकल अलाउन्स	0.00	
	14	क्लोजिंग अलाउन्स	22560.00	
	15	क्लिरिंग अलाउन्स	9360.00	
	16	मृत्य गणवेश	208481.00	
	17	ग्रेज्युटी	13944711.00	
3		व्यवस्थापकीय व्यय		18182197.88
	1	कानूनी फीस	104420.00	
	2	सिक्युरिटी (सुरक्षा गाडी)	17775946.88	
	3	एडमिनिस्टेटिव चार्जेस	301831.00	
4		किराया/बीमा/विधुत आदि		16349811.84
	1	भवन किराया	5805378.44	
	2	विद्युत खर्च	1754317.00	
	3	लिंक इंश्यो.	1625732.14	
	4	प्रिमियम टू डीआईसी	6177212.84	
5		डाक तार एवं दूरभाष व्यय	987171.42	
6		स्टेशनरी, छपाई, विज्ञापन आदि		2813329.85
	1	स्टेशनरी	481020.32	
	2	प्रीटिंग बैंक	1319713.53	
	3	विज्ञापन	1012596.00	
7		वाहन खर्च व्यय		3691911.07
	1	जीप मेंटेनेंस	201802.00	
	2	डीजल	2264656.07	
	3	जिप किराया	1225453.00	
8		आडिट फीस		530590.00
	1	अंकेक्षण शुल्क	530590.00	
	2	सनदी लेखाकार	458190.00	458190.00
9		संचालक एवं स्थानीय कमेटी फीस एवं भत्ता		0.00
10		मीटिंग फीस सचालक मंडल	0.00	
11		साधारण सभा	282495.00	282495.00
12	1	भवन/फनिचर रिपयर्स	264688.00	264688.00
	2	घसारा		6421085.00

31 मार्च 2022	क्र0	पूंजी एवं देनदारिया	रकम	रकम 31.03.2023
0.00		ख. अन्य दर्शानीय प्रतिभूतियो पर	0.00	
0.00		ग. राज्य शासन से	0.00	
0.00		अ. अल्पावधि ऋण,	0.00	
0.00		इसमे से प्रतिभूत है	0.00	
0.00		क. शासकीय अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियो पर	0.00	
0.00		ख. अन्य दर्शानीय प्रतिभूतियो पर	0.00	
0.00		ब. मध्यावधि ऋण	0.00	
0.00		इसमे से प्रतिभूत है	0.00	
0.00		क. शासकीय अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियो पर	0.00	
0.00		ख. अन्य दर्शानीय प्रतिभूतियो पर	0.00	
0.00		स. दीर्घाकालीन ऋण	0.00	
0.00		इसमे से प्रतिभूत है	0.00	
0.00		क. शासकीय अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियो पर	0.00	
0.00		ख. अन्य दर्शानीय प्रतिभूतियो पर	0.00	
0.00		4. अन्य स्त्रोतो से ऋण	0.00	
	7	वसूली योग्य बिल्स (विमुख अनुसार)		
39619786.96	8	शाखाओ का समायोजन	29913866.83	29913866.83
175767070.82	9	देय ब्याज	161036727.13	161036727.13
	10	अन्य देनदारिया		144663651.47
82671308.74		अ. विविध देनदारिया	89292477.20	
3071888.00		ब. ऋण राहत की राशि संस्थाओ को देना	0.00	
0.00		स. स्टेशनरी फार्म	0.00	
1290156.00		द. चंदा देय जिला एवं राज्य सह. संघ	1290156.00	
3525480.86		इ. एन ई एफ टी आवडवर्ई/इनवड	3830854.21	
17486674.78		ई. बोनस पेएबल	17486674.78	
1134534.11		उ. बचत बैंक गारंटी फंड	1201245.11	
37441987.17		उ. सबसिडी रिजर्व फंड	30162220.17	
1313000.00		ए. अकेक्षण पेएबल	1400024.00	
	11	लाभ		44140733.86
60964606.62		अ. गत स्थिति विवरण पत्रक का लाभ	44140733.86	
		ब. जोडा इस वर्ष का लाभ		
		योग		
0.00		स. घटाया लाभ वितरण करने से	0.00	
		द. शेष लाभ		
		2. आकस्मिक देनदारिया		
8499269500.39		योग	9436237690.64	9436237690.64

बैकिंग सहायक **प्रभारी लेखा** **महाप्रबंधक**

अध्यक्ष/प्रशासक **बैंक अंकेक्षक**

क्र.		व्यय मद	राशि	राशि
	3	फर्निचर , भवन , जीप , कम्प्यूटर , प्लान्ट एण्ड मशीनरी	6421085.00	
13		अन्य व्यय		4392880.91
14	1	अतिथि सत्कार	1685273.50	
	2	विविध व्यय	2171115.24	
	3	बैंकिग सर्विस चार्ज	536492.17	
		साप्टवेयर शुल्क		6455684.66
	1	सीविल वार्षिक खर्च	5000.00	
	2	एटी एम खर्च कार्ड	0.00	
	3	कम्प्युटर खर्च	206039.00	
	4	टीसीएस साफ्टवेयर किराया	4876734.66	
	5	लोकल कमेटी	1367911.00	
15		चंदा युनियन एण्ड अदर्स	365724.00	365724.00
16	1	जी एस टी		3263325.13
	2	सी.जी.एस.टी	1240926.84	
	3	आई जी एस टी	781471.45	
	3	एस.जी एस.टी पेड	1240926.84	
	5	आयकर पेड	12722482.00	12722482.00
17		अपलेखन लोक अदालत	5388729.00	5388729.00
18		एन पी प्रावधान	33016000.00	33016000.00
19		शुद्ध लाभ	2332684.24	2332684.24
		Total	877278703.03	877278703.03

बैंकिंग सहायक प्रभारी लेखा महाप्रबंधक

अध्यक्ष/प्रशासक बैंक अंकेक्षक

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, झाबुआ (म.प्र.)
लाभ हानि पत्रक 31/03/2023

क्र.		आय मद	राशि	राशि
1		ब्याज प्राप्त		870,489,725.89
	1	ब्याज प्राप्त विनियोग पर	101284355.00	
	2	ब्याज प्राप्त कृषि ऋणों पर	541497782.35	
	3	ब्याज प्राप्त अकृषि ऋणों पर	3662925.75	
	4	ब्याज प्राप्त केश क्रेडिट ऋणों पर	8204426.00	
	5	ब्याज प्राप्त व्यक्तिगत ऋणों पर	8839179.04	
	5	ब्याज प्राप्त मुख्यालय ऋणों पर	207001057.75	
	6	अन्य आय	663044.13	663,044.13
	7	कमीशन	3447434.72	3,447,434.72
	8	डिव्हीडेंट प्राप्त	1325500.00	1,325,500.00
2	9	हाउस किराया प्राप्त	52859.00	52,859.00
3	10	लॉकर किराया	948532.29	948,532.29
4	11	एफ आई एफ नाबार्ड	351607.00	351,607.00
		Total	877278703.03	877278703.03

बैंकिंग सहायक प्रभारी लेखा महाप्रबंधक

अध्यक्ष/प्रशासक बैंक अंकेक्षक

N. C. SARAF & COMPANY
CHARTERED ACCOUNTANTS

433, Goyal Nagar, Kanadia Road
Indore - 452018 (M.P.)
Ph.: (0731) 4020900/9302102826

अंकेक्षण प्रमाण-पत्र

हम निम्न हस्ताक्षर कर्ता अंकेक्षण विवरण प्रमाणित करता हूँ, कि मेरी फर्म के अंकेक्षण अधिकारी, निरीक्षण एवं आडिटर से जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, झाबुआ जिसका पंजीयन क्रमांक 177 दिनांक 19/09/1919, एवं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लायसेंस क्रमांक ग्रा/अ/क्र/वि/28 /11-12 दिनांक 09 जनवरी 2012 जो जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, झाबुआ का है, का अंकेक्षण मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम एवं पंजीयक सहकारी समितियां म.प्र.भोपाल एवं रिजर्व बैंक/नाबार्ड के द्वारा प्रस्तावित विधि से पूर्ण किया है। बैंक का पंजीयन प्रमाण पत्र/लायसेंस बैंक में उपलबध है। मेरे द्वारा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, झाबुआ का दिनांक 31/03/2023 तक की स्थिति का विवरण पत्रक, लाभ-हानि पत्रक, अनुपात विश्लेषण पत्रक, जो उस दिनांक से समाप्त होने वाले लेखाओं से संबंधित है, की प्रधान कार्यालय तथा शाखाओं द्वारा भेजे गये प्रमाणित लेखाओं के आधार पर जांच की गयीं जो कि इन पत्रकों में सम्मलित किये गये है।

अतः मेरे मत के अंकेक्षण टीप में उल्लेखित एम.ओ.सी. (मेमोरेंडम ऑफ़ चेंजेस) एवं विस्तृत टिप्पणीयां एवं आक्षेपों को छोड़कर:-

1- बैंक का व्यवसाय आमतौर पर विधिवत उपनियमों एवं नियमों के अंतर्गत तथा पंजीयक सहकारी समिति/अपैक्स बैंक भोपाल के प्रशासनिक निर्देषों के एवं बैंकिंग रेग्युलेषन अधिनियम की आवष्यकताओं के अनुरूप किया गया है।

2- बैंक का स्थिति विवरण पत्रक स्पष्ट हे। आवष्यक सभी जानकारियां जो कि बैंक के व्यवहार एवं स्थिति के संबंध में बताई गयी है उनका समावेष इन पत्रकों में है। एम.ओ.सी. (मेमोरेंडम ऑफ़ चैंजेस) एवं आपत्तियां आडिट नोट में बताई गयी है।

3- आवष्यकतानुसार समस्त जानकारी मेरे संतोष होने तक बैंक द्वारा मुझे उपलब्ध करायी गयी है।

4- बैंक का समस्त व्यवहार, व्यवसाय निर्धारित कार्य सीमा के अंतर्गत किया गया है।

5- अंकेक्षण हेतु जो प्रपत्र बुलाये गये है उनमें मेमोरेंडम ऑफ़ चैंजेस के समावेष के पूर्व सभी पूर्ण एवं पर्याप्त है।

6- लाभ-हानि पत्रक मेमोरेंडम ऑफ़ चैंजेस के पष्चात शेष लाभ का सही चित्रण करता है।

7- बैंक की स्थिति विवरण पत्रक एवं लाभ-हानि पत्रक नियमों के अनुरूप रखे गये है।

अतः कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक/अंके./3/0028/2020/266, दिनांक 17.04.2020 एवं आर.बी.आई./498, दिनांक 16.06.2009 द्वारा प्रकाशित निर्देशों में की गयी कसौटी एवं दिशा निर्देशों एवं तथ्यों के आधार पर बैंक को "अ" वर्ग में वर्गीकृत करता हूँ। विस्तृत जानकारी संलग्न है। वर्ष 2022-23 के लिए अंकेक्षण वर्गीकरण "अ" की पुष्टि की जाती है।

एन.सी. सराफ एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म रजि. न.: 007779C

सी॰ए॰ रितेश जैन
(साझेदार)
सदस्यता क्रमांक-077856

स्थान: इंदौर
दिनाक: 14/06/2023
UDIN: 23077856BGYXUS9933

सहकारिता विभाग के अधिकारी/कर्मचारी हेतु बी-पैक्स के मॉडल बायलॉज एवं मध्यप्रदेश की सहकारी नीति 2023 पर प्रशिक्षण

भोपाल। प्रमुख सचिव, सहकारिता मध्यप्रदेश शासन एवं आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाऐं मध्यप्रदेश के निर्देश के परिपालन में मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ में मध्यप्रदेश की सहकारी नीति 2023 एवं बी - पैक्स के मॉडल बायलॉज के प्रावधान व उनके समुचित क्रियान्वयन हेतु एक दिवसीय एवं दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक

02/01/2024 से 03/01/2024, 04/01/24 से 05/01/24, 08/01/24 से 09/01/24, 10/01/24 11/01/24, 11/01/2412/01/24 10/01/24 (एक दिवसीय) को कुल 06 प्रशिक्षण कार्यक्रम सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल में सफलतापूर्वक आयोजित किये गयें। जिसमें सहकारिता विभाग के कुल 100 सहकारी निरीक्षक एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के संवर्ग -1 एवं 2 के अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।

प्रशिक्षण पर जानकारी देते हुए श्री संजय कुमार सिंह, महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्या. भोपाल द्वारा बताया गया कि बी- पैक्स के पुराने एवं नवीन बायलाज के प्रावधानों में प्रमुख अन्तर एवं नवीन प्रावधान की आवश्यकता व बी- पैक्स के सम्बन्ध में भारत सरकार, राज्य सरकार एवं सहकारिता विभाग की अपेक्षाऐं एवं निर्देश, सहकारी नीति से सहकारी संस्थाओं व सदस्यों के आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण पर विषय विशेषज्ञ श्री श्रीकुमार जोशी, सेवा निवृत्त, संयुक्त आयुक्त सहकारिता, श्री पी.के.एस. परिहार, सेवा निवृत्त, प्रबंधक, अपेक्स बैंक के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी नीति 2023 के एक्शन प्लान का क्रियान्वयन, सहकारिता के विशिष्ठ सेक्टर जैसे - कृषि साख, शहरी साख सहकारी विपणन, आवास, उपभोक्ता, बीज उत्पादन, डेयरी, मत्स्य एवं लघु वनोपज, श्री अविनाश सिंह, सेवा निवृत्त, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक के द्वारा बी- पैक्स के नवीन बायलाज को प्रभावशील किया जाना, मध्यप्रदेश की सहकारी नीति 2023 के क्रियान्वयन हेतु एक्शन प्लान व सहकारी नीति के क्रियान्वयन में संघीय / शीर्ष संस्थाओं की भूमिका, श्री अरविन्द सिंह सेंगर, से.नि. संयुक्त आयुक्त सहकारिता द्वारा बी- पैक्स के नवीन बायलाज की आवश्यककता व उद्देश्य, श्री प्रदीप निखरा से.नि. संयुक्त आयुक्त सहकारिता एवं श्री अभय गोखले, से.नि. प्रबंधक, अपेक्स बैंक द्वारा मध्यप्रदेश की सहकारी नीति 2023 क्या है, इसकी आवश्यकता, विजन, मिशन एवं उददेश्य पर व्याख्यान दिया गया, डॉ. मोनिका सिंह, डायरेक्टर एवं डीन, स्कोप ग्लोबल युनिवर्सिटी (आईसेक्ट) द्वारा व्यक्तित्व विकास एवं सम्प्रेषण कलां पर व्याख्यान दिया गया तथा श्री अरूण कुमार मिश्रा, संयुक्त आयुक्त सहकारिता, के द्वारा मॉडल बायलाज के प्रावधानों का क्रियान्वयन करने हेतु की जाने वाली कार्यवाही विषय पर विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतिम सत्र में प्रबंध संचालक एवं महाप्रबंधक राज्य संघ द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी नीति 2023 के प्रमुख प्रावधान पर प्रतिभागियों से खुली चर्चा की गई एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का फीडबैक लिया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन संतोष येडे, राज्य समन्वयक, राज्य सहकारी संघ द्वारा किया गया। श्री जी. पी. मांझी, प्राचार्य, श्रीमति रेखा पिप्पल, लेखाधिकारी, श्री अरूण कुमार जोशी, भू.पू. प्राचार्य सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल, धनराज सैंदाणे, प्रवीण कुशवाहा, विक्रम मुजुमदार, ज्ञानू सिंह, मो. शाहिद खांन, विनोद कुशवाहा का विशेष सहयोग रहा।

सहकारी प्रबंध में उच्चतर पत्रोपाधि पाठ्यक्रम के उत्तीर्ण प्रतिभागियों का प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम संपन्न

भोपाल। मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल द्वारा संचालित सहकारी प्रबंध में उच्चतर पत्रोपाधि पाठ्यक्रम (हायर डिप्लोमा इन को-ऑपरेटिव) के सम्पन्न प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सत्रों में उत्तीर्ण प्रतिभागियों को दिनांक 01/01/2024 को प्रबंध संचालक श्री ऋतुराज रंजन एवं श्री अरविन्द सिंह सेंगर से.नि. संयुक्त आयुक्त सहकारिता के द्वारा प्रमाण-पत्र एवं अंकसूची प्रदान की गई। कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को मध्यप्रदेश की सहकारी नीति 2023 एवं बी- पैक्स के नवीन प्रावधान व उनके समुचित क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस अवसर पर श्री संजय कुमार सिंह महाप्रबंधक, राज्य सहकारी संघ एवं श्री अविनाश सिंह से.नि. वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, उपस्थित रहें। इस सत्र का संचालन श्रीमति मीनाक्षी बान, कम्प्यूटर व्याख्याता सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल द्वारा किया गया था। श्री अरूण कुमार जोशी, से.नि. प्राचार्य, श्री जी.पी. मांझी प्राचार्य, श्रीमति श्रद्धा श्रीवास्तव जिला सहकारी प्रशिक्षक, श्री विनोद कुमार, जिला सह प्रशिक्षक, श्री विक्रम मुजुमदार एवं प्रवीण कुशवाहा, श्री धनराज सैंदाणे का विशेष सहयोग रहा।

सहकारिता विभाग बिहार के सहकारिता प्रसार अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न

भोपाल। सहकारिता विभाग बिहार के अंतर्गत 41 अप्रशिक्षित सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों के लिए सहकारी प्रबंध में प्रमाण पत्रीय पाठ्यक्रम (12 सप्ताहिक) हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन दिनांक 16 अक्टूबर, 2023 से 06 जनवरी, 2024 तक मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल में आयोजित किया गया। जिसका समापन 06 जनवरी, 2024 को किया गया।

प्रशिक्षण के समापन अवसर पर श्री ऋतुराज रंजन, प्रबंध संचालक, राज्य सहकारी संघ, श्री श्रीकुमार जोशी, से.नि. संयुक्त आयुक्त सहकारिता, श्री पी. के. एस. परिहार, से.नि. प्रबंधक, अपेक्स बैंक, श्री संजय कुमार सिंह, महाप्रबंधक, राज्य सहकारी संघ उपस्थित रहें। प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य सह. संघ द्वारा सभी सहकारी प्रसार अधिकारियों को प्रमाण पत्र वितरित किये गये बिहार के प्रतिभागियों ने बताया कि सहकारिता अधिनियम, नियम, उद्देश्य, सिद्धांत, सहकारी आन्दोलन, ग्रामीण विकास एवं कृषि, सहकारी प्रबंधकीय प्रणाली, लेखाकंन, विपणन प्रबंधन, सहकारी साख एवं बैंकिंग, एम.आई.एस, कम्प्यूटर एप्लीकेशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एण्ड लागत आदि विषयों पर सारगर्भित प्रशिक्षण से हमारे ज्ञान में वृद्धि हुई है। इस कार्यक्रम के सत्र समन्वयक श्री अरूण कुमार जोशी से.नि.प्राचार्य म.प्र.रा.सह. संघ थे। श्री जी.पी. मांझी प्राचार्य, श्री विनोद कुशवाह, जिला सह प्रशिक्षक, श्री धनराज सैंदाणे, श्री विक्रम मुजुमदार, का कार्यक्रम में विशेष सहयोग रहा।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक गणेश प्रसाद मांझी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : गणेश प्रसाद मांझी
डॉक पंजीयन क्रमांक : म.प्र./भोपाल/357/2021-23 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2926159, 2926160, इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।